सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") (सीआईएनः L40101DL1969GOI005095) की तिरपनवीं (53वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए **दिनांक 16 सितंबर, 2022, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे** भारतीय समयानुसार (आईएसटी), वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पहले, दूसरे और तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3: श्री अजय चौधरी (डीआईएनः 06629871) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: कंपनी की समग्र उधार सीमा में बढ़ोत्तरी करना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः–

"**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी द्वारा 25 सितंबर, 2020 को आयोजित 51वीं वार्षिक आम बैठक में पारित पूर्ववर्ती संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (तत्समय प्रवृत्त, किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित) तथा किसी भी अन्य लागू कानून और कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद के उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (ग) के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") को कंपनी के कारोबार के उद्देश्य से, समय–समय पर, अपने विवेक पर, प्रतिभूति के साथ या इसके बिना और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर ऐसी धनराशि या धनराशियां, जो बोर्ड उचित समझे, उधार लेने के लिए, कंपनी की सहमति इस बात के होते हुए भी प्रदान की जाती है कि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (कारोबार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) के साथ उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और उसके मुक्त आरक्षिती के योग से अधिक होते हुए भी, बशर्ते कि शेयरधारकों द्वारा पहले से यथा अनुमोदित भारतीय रुपये में ₹4,50,000 करोड़ (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) के अतिरिक्त, किसी भी समय किसी भी विदेशी मुद्रा में उधार ली गई और बकाया कुल राशि 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सोलह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

"**इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को अमल में लाने के लिए आवश्यक हो।"

मद संख्या 6: कंपनी की सभी या किसी चल और/या अचल परिसंपत्तियों पर गिरवी और/या उत्तरदायित्व का सृजन करना

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः–

"**संकल्प किया जाता है कि** 25 सितंबर, 2020 को आयोजित 51वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित पूर्व संकल्प का आंशिक संशोधन करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (तत्समय प्रवृत्त, किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित) तथा किसी भी अन्य लागू कानून और कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद के उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) और किसी अन्य लागू उपबंध, यदि कोई हो, के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के कारोबार के उद्देश्य के लिए समय–समय पर निधियां, जो भारतीय में ₹4,50,000 करोड़ (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपए मात्र) से और किसी भी विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सोलह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्रा) के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी, उधार लेने के लिए कंपनी की कहीं भी स्थित किसी भी चल और/या अचल परिसंपत्तियों, वर्तमान और भावी, दोनों पर और संपूर्ण कंपनी या मूल रूप से कंपनी के संपूर्ण उपक्रम या उपक्रमों पर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड कंपनी के लाभ के लिए उचित समझे, और जिन पर बोर्ड और ऋणदाता सहमत हों, किसी बैंक, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद/पट्टा कंपनियों, कॉरपोरेट निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में उत्तरदायित्व, उपप्राधीयन, गिरवी सृजित करने के लिए कंपनी की सहमति अनुमति दी जाती है।"

"**इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को अमल में लाने के लिए आवश्यक हो।"

मद संख्या 7: निदेशक (तकनीकी) के रूप में श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएनः 02772733) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उसके (उनके) बिना, **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 161, 196 और अन्य लागू उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों और/या किसी अन्य लागू कानून (तत्समय प्रवृत्ति किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों), आशोधन (आशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसरण में, श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएनः 02772733), जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मण्डल द्वारा 15 जुलाई, 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, ₹180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में, और/या उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश (आदेशों) के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक (तकनीकी)

(अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवानिवृत्त रोटेशन के अनुसार होगी।"

मद संख्या 8 : कंपनी की समग्र उधार सीमा बढ़ाने के लिए।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (गैर– परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) विनियमावली, 2021 और उसके अन्य कोई संशोधन और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा/–निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा यथा लागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतदद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹75,000 करोड तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर–आवासी और/अथवा संस्थाएं/निगमित निकाय और/अथवा अलग–अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर–आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार ₹75,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथा लागू दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

"**संकल्प किया जाता है कि** प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतदद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बॉण्ड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बॉण्डों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बॉण्ड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

ज्योति

जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

दिनांक : 20 अगस्त, 2022

स्थान : आरईसी वर्ल्ड हेडक्वाटर्स
प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा - 122001

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद सं. 5 से 8 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 30 जून 2022 तथा 4 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में यह विचार किया था कि सूचना के क्रम सं. 5 से 8 पर विशेष कारोबार की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं जिन पर कंपनी की 53वीं वार्षिक आम सभा में कार्य किया जाएगा।

2. कोविड–19 महामारी के चलते तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 मई, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 13 मई, 2022 के परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 "सेबी (एलओडीआर) विनियम", के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक, वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है। 53वीं एजीएम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने, 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के द्वारा की जाएगी।

4. 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।

5. उपरोक्त एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार 53वीं एजीएम का नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को ई–मेल के जरिए भेजा जा रही है, जिनके ई–मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत थे। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

   कंपनी के शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने, वास्तविक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके ई–मेल पते दर्ज करने/अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था।

   ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई–मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई–मेल पते दर्ज कराने और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा:–

   - यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिट का डीपी आईडी + क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिट का लाभार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
   - यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण–पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@recl.in पर ई–मेल के माध्यम से भेजें।

6. कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में लेन – देन की जाने वाली मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति/जांचकर्ता को अधिकृत करने का पत्र scruitinizer.recl@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।

7. कंपनी ने 53वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध में वोट देने के लिए पात्रता के निर्धारण के लिए कट ऑफ **तिथि 09 सितंबर 2022, शुक्रवार** निर्धारित की है।

   कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

8. सीएस हेमंत सिंह (एफसीएस नंबर 6033), हेमंत सिंह और एसोसिएट्स की ओर से प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, को 53वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।

   एनएसडीएल ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 53वीं एजीएम में भागीदारी और 53वीं एमजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 13 **सितंबर, मंगलवार (09:00 बजे) को शुरू होगी और दिनांक 15 सितंबर, 2022, गुरूवार (17:00 बजे) को समाप्त होगी।** एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

   सदस्य 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए 16 सितंबर, 2022 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10:45 बजे अर्थात शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तारीख को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए विंडो को बंद किया जाएगा।

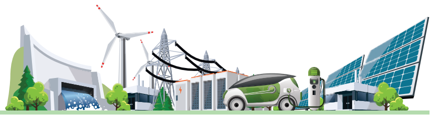

कृपया ई–वोटिंग, 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी एसोसिएशन के अनुच्छेद 114 और उसके तहत बनाए गए नियम समय–समय पर संशोधित के रूप में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान तीन बार अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया: –

क्र. सं.	विवरण	प्रति इक्विटी शेयर राशि (₹)	घोषणा की तिथि	भुगतान की तिथि
1.	प्रथम अंतरिम लाभांश	2.00	5 अगस्त, 2021	2 सितंबर, 2021
2.	द्वितीय अंतरिम लाभांश	2.50	29 अक्टूबर, 2021	25 नवंबर, 2021
3.	तृतीय अंतरिम लाभांश	6.00	4 फरवरी, 2022	3 मार्च, 2022

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 13 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹4.80 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी और इस पर सदस्यों द्वारा उक्त लाभांश, यदि अनुमोदित हो, की सिफारिश की गई थी। वार्षिक आम बैठक में, सदस्यों या उनके जनादेशों को गुरुवार, 13 अक्टूबर, 2022 को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि अर्थात **बुधवार, 13 जुलाई, 2022** के रूप में दर्ज हैं।

लाभांश आय शेयरधारकों के पास अब कर योग्य है और कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस) अपेक्षित है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

11. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग के लिए निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक (एजीएम) में अथवा एक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा।

कंपनी की 52वीं एजीएम में, जो दिनांक 24 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तद्नुसार, निदेशक मण्डल ने 58,00,000 रुपये (अट्ठावन लाख रुपए मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी., सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए यात्रा भत्ते और आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जानी है। इसके अलावा सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

13. सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। इस संबंध में, सेबी ने पहले निर्धारित किया था कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के तहत केवल निवेशक सेवा अनुरोधों जैसे – उपविभाजन/विखंडन/समेकन/पारेषण/हस्तांतरण और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के निर्गमन को – प्रोसेस करते समय डिमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तदनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी शेयरधारिता को यथाशीघ्र भौतिक रूप से मौजूदा डीमैट खाते या किसी भी निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में डीमैट रूप में परिवर्तित करें।

14. चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। वास्तविक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत** के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्यौरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।

15. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं/नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके

पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिख सकते हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक–वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात (www.recindia.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

    इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्टूबर, 2022 और मार्च, 2023 में आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।

17. कंपनी में अपनी शेयर धारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन था अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथा निर्धारित प्रपत्र एसएच–13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in. पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।

18. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के रजिस्टर तथा उनकी शेयर धारिता का रख–रखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। अनुबंधों का रजिस्टर और व्यवस्थाएं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उनका रख–रखाव किया जाता है और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 16 सितंबर, 2021 तक सदस्यों द्वारा बिना शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावोजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें।

19. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई–मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

20. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

21. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 53वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसरण में, कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी की सहमति से एक विशेष संकल्प पारित करके, कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षिती से अधिक धनराशियां उधार ले सकेगा।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 25 सितंबर, 2020 को आयोजित 51वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करके, कंपनी के निदेशक मण्डल को भारतीय रूपए में कुल ₹4,50,000 करोड़ तक और और किसी भी विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की धनराशि उधार लेने की शक्ति प्रदान की थी।

उपरोक्त में से, 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रुपए में उधार लेने की उपलब्ध सीमा ₹1,98,968 करोड़ थी जो कंपनी की कारोबारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, भारतीय रुपए में उधार सीमा में कोई भी वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए उपलब्ध शेष राशि 2.00 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। यह देखते हुए कि विदेशी मुद्रा में अनुमानित उधारों के साथ वर्तमान बकाया उधार, 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूर्व अनुमोदित सीमा से अधिक होने की संभावना है, कंपनी के कारोबार के उद्देश्य से किसी भी समतुल्य विदेशी मुद्रा में उधार लेने की सीमा को 12 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 16 अरब अमेरिकी डॉलर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत सदस्यों की सहमति मांगी गई है।

संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और सभी संबंधित दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 30 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार अथवा रूचि नहीं है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(क) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई कंपनी, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प के जरिए पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम या उपक्रमों की बिक्री नहीं कर सकती हैं, पट्टे पर नहीं दे सकती है या अन्यथा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से निपटान नहीं कर सकती है। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसार, पोस्टल बैलेट के माध्यम से सम्पादित किए जाने के लिए आवश्यक कारोबार की कोई भी मद, कंपनी द्वारा एक आम बैठक में सम्पादित की जा सकती है, जिसमें सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान की सुविधा प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आम बैठक में संकल्पों पर मतदान करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है। तदनुसार, कंपनी की सभी या किसी चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों पर रेहन और/या उत्तरदायित्व के सृजन के लिए विशेष संकल्प को इस वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने का प्रस्ताव है।

कंपनी के प्रचालन में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति के सृजन द्वारा अतिरिक्त निधियां जुटाने की आवश्यकता है। चूंकि उत्तरदायित्व/गिरवी का सृजन कंपनी के उपक्रमों के अन्यथा निपटान के समान है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत एक विशेष संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है ।

इसलिए, कंपनी के निदेशक मण्डल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क), उसके तहत बनाए गए नियमों और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार, कंपनी के कारोबार अथवा अन्यथा के उद्देश्य के लिए, भारतीय में ₹4,50,000 करोड़ (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपए मात्र) और किसी भी विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सोलह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्रा) के बराबर राशि का उधार लेने के लिए कंपनी की किसी भी चल और/या अचल परिसंपत्तियों, वर्तमान और भावी, दोनों उत्तरदायित्व/गिरवी सृजित करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 30 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार अथवा रूचि नहीं है।

मद संख्या 7

आरईसी, एक सरकारी कंपनी है और इसके अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ ही उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है। हालांकि, 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ग) के अनुसार, निदेशक मण्डल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्राप्त करना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2022 के अपने आदेश के तहत श्री वी. के. सिंह (डीआईएनः 02772733), जो पहले कंपनी में कार्यापलक निदेशक के रूप में आरईसी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत थे, को ₹180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। श्री वी. के. सिंह ने

15 जुलाई, 2022 को निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मण्डल ने, शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन, श्री वी. के. सिंह को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन दिया है।

श्री वी. के. सिंह, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री धारक हैं और उन्हें भारतीय विद्युत क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें पारेषण परियोजना विकास और प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, ईएचवी सब–स्टेशनों और पारेषण लाइनों के निर्माण, बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र, ईसीबी आदि जुटाने जैसे वित्तीय पहलुओं में समृद्ध अनुभव है। वह आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, के बोर्ड में निदेशक भी हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सचिव–विषयक मानक–2 के संदर्भ में श्री वी. के. सिंह का संक्षिप्त विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, श्री वी. के. सिंह रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, विद्युत मंत्रालय के 15 जुलाई, 2022 के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगे।

श्री वी. के. सिंह ने घोषणा की है कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है; और यह कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है। अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए कंपनी को एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री वी.के. सिंह को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करने के लिए इस नोटिस के मद संख्या 7 में निहित साधारण संकल्प को पारित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

श्री वी. के. सिंह को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त साधारण संकल्प को पारित करने में कोई सरोकार या रुचि, वित्तीय या अन्यथा, नहीं है। आरईसी के निदेशक मण्डल ने इस नोटिस के मद संख्या 7 में निर्दिष्ट साधारण संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

मद संख्या 8

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 18 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के उपबंधों के अनुसार, कोई कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिभूतियों की प्रस्तावित प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले ही प्रत्येक प्रस्थापना या निमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। हालांकि, "असंपरिवर्तनीय डिबेंचर" के लिए प्रस्थापना या निमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों की सभी प्रस्थापना (प्रस्थापनाओं) अथवा निमंत्रण (निमंत्रणों) के लिए किसी वर्ष में केवल एक बार पहले ही विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात् 15 सितंबर, 2023 तक, एक या अधिक बार में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जैसा कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, ₹75,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी को निधियां जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ₹75,000 करोड़ की उक्त सीमा इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण को निवेशकों, जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, के वर्ग, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गमन मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गमन की राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, निजी प्लेसमेंट के प्रस्थापना पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कोई घोषणा/शपथ आदि जारी करने सहित निर्गमन की शर्तों को निर्धारित करने और किसी भी अन्य विनियामक आवश्यकता के तहत ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और सभी संबंधित दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 4 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार अथवा रूचि नहीं है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

दिनांक : 20 अगस्त, 2022
स्थान : आरईसी वर्ल्ड हेडक्वाटर्स
प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा - 122001

सेबी एलओडीआर विनियमों और सचिवीय मानक -2 के संदर्भ में, इस नोटिस में निर्धारित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त परिचय।

निदेशक (कों) के नाम	श्री अजय चौधरी	श्री विजय कुमार सिंह
डीआईएन	06629871	02772733
जन्मतिथि	21 जनवरी, 1964	03 जून, 1965
उम्र	58 वर्ष	57 वर्ष
पहली नियुक्ति की तिथि	1 जून, 2020	15 जुलाई, 2022
योग्यता	दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम (ऑनर्स); और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य।	आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री,
कौशल और क्षमताओं सहित विस्तृत परिचय	श्री अजय चौधरी को भारतीय विद्युत क्षेत्र के विविध कार्यों में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 16 अप्रैल, 2007 को आरईसी में नियुक्त होने से पहले, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के साथ काम किया था। निदेशक (वित्त) के रूप में आप वित्तीय प्रबंधन एवं आरईसी के प्रचालन, संगठनात्मक और वित्तीय नीतियां तैयार करने, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, उधार प्रचालन, नकदी और निधि प्रबंधन, कारपोरेट लेखा, कर नियोजन, संसाधन जुटाव, कैपिटल मार्केट प्लेयर्स एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय का कार्य देखते हैं और इस बारे में जरूरी निर्देश देते हैं। उन्होंने आरईसी में विभिन्न प्रणालीगत सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें ऋण वसूली के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त संपत्तियों का समाधान, ग्राहकों के लिए संचार और सेवाओं में सुधार और समग्र संसाधनों और खजाने को एक कुशल तरीके से प्रबंधित करना शामिल है।	श्री वी.के. सिंह, 29 मार्च, 2007 को आरईसी में नियुक्त हुए थे जो पहले आरईसी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, इससे पहले, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ काम किया था। निदेशक (तकनीकी) के रूप में, आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं की परियोजना और एंटिटी अप्रेजल एवं परियोजना के साथ संस्वीकृति, संवितरण और परियोजना निगरानी, कारोबार विकास, विविधीकरण और कंपनी द्वारा समग्र प्रभावी काम – काज सहित सभी तकनीकी और परिचालन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। आपको पारेषण परियोजना विकास और प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, ईएचवी सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण, बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र, ईसीबी आदि जुटाने जैसे वित्तीय पहलुओं का व्यापक अनुभव है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री अजय चौधरी वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और शासन, कारोबार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।	श्री वी.के. सिंह वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और सुशासन, कारोबार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ है।
नियुक्ति के नियम और शर्तें और भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	श्री अजय चौधरी को 1 जून, 2020 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्थात 31 जनवरी, 2024 तक या अगले आदेश तक ₹180,000–340,000 के वेतनमान में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 21 अप्रैल, 2020 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित हैं।	श्री वी. के. सिंह को 180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जुलाई, 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 15 जुलाई, 2022 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश (आदेशों) आदि द्वारा शासित होंगी।
एक लाभकारी स्वामी के रूप में कंपनी में शेयरधारिता	₹10/– प्रति के 1200 इक्विटी शेयर (प्री–बोनस)	शून्य
बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 11 में से 11 बोर्ड की बैठकों में भाग लिया	15 जुलाई 2022 से शुरू हो रहे उनके कार्यकाल के दौरान 1 में से 1 बोर्ड की बैठक में भाग लिया
समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 22 में से 22 समिति की बैठकों में भाग लिया	15 जुलाई 2022 से शुरू हो रहे उनके कार्यकाल के दौरान 1 समिति की बैठक में से 1 में भाग लिया
अन्य कंपनियों / सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद	• आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	• आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड • नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड *(हड़ताल की प्रक्रिया के तहत)*
सूचीबद्ध संस्थाओं का विवरण जिसने पिछले तीन साल में इस्तीफा दे दिया है	शून्य	शून्य
सभी सार्वजनिक कंपनियों में समिति की सदस्यता/अध्यक्षता	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड • सीएसआर समिति (अध्यक्ष)	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड • सीएसआर समिति (सदस्य)
निदेशकों और केएमपी के आपस में संबंध	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सूचना का अनुबंध

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग, 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 53वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **13 सितंबर, 2022, मंगलवार (09:00 बजे) से शुरू होकर 15 सितंबर, 2022, गुरूवार (17:00 बजे) तक होगी।** वोटिंग के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। सदस्य/लाभार्थी मालिक जिनके नाम अंतिम तारीख अर्थात 09 सितंबर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं और शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार उक्त अंतिम तारीख को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिकल रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति :-

सूचीबद्ध एंटिटियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा **आईडीईएएस** उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई–सर्विसेज वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर **"लॉगिन"** के तहत **"बेनिफिशियल ओनर"** आइकन पर क्लिक करें, जो **'आईडीईएएस'** सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई–वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें:https://www.evoting.nsdl.com ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। 4. निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक /सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" डाउनलोड कर सकते हैं। **एनएसडीएल मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है** App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरए https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। 2. ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई–वोटिंग मेन्यू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता https://www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन संख्या प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जो कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई–वोटिंग सेवा प्रदाता) अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, कृपया देखें कि क्या ई–वोटिंग का विकल्प उपलब्ध है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: *जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।*

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्यौरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन करने में कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो, वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन करने में कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो, वे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022–23058738 या 022–23058542–43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति।

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. जब ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉगिन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉगिन कर लेते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण–2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।
4. एनएसडीएल ई–वोटिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा। यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक अर्थात शेयर धारण करने का ढंग	यूजर आईडी
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए : यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए : यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12************** है।
ग) वास्तविक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए : यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

5. **व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**

   क. यदि आप पहले से ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉगिन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

   ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

   ग. "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है?

   (i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई–मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा वास्तविक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। पीडीएफ फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

   (ii) यदि आपका ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की बिन्दु संख्या 5 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।
6. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।

   ख. यदि आप वास्तविक रूप में शेयर धारक हैं, तो "त्रुटि! हाइपरलिंक संदर्भ मान्य नहीं है। विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ. सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन–टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण-2 : अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।
2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उस कंपनी का "ईवीईएन" चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के तहत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई–वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमत अथवा असहमत का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा पूछे जाने पर "पुष्टि" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं.: 1800–222–990 पर कॉल करें अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400 013 को ई–मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पद पर भेजें। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई–मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी भेज सकते हैं।

ख. 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई–वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने की अनुमति होगी।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो संबंधी रुकावटों का अनुभव हो सकता है। अतः सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "वक्ता" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं., ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. 53वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश

1. एक बार नोटिस की सभी मदों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने **"ई-वोटिंग"** टैब में लॉगिन के अंतर्गत प्रदर्शित **"अपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र"** पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/वकालतनामा/प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
2. एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होंगे, जिनका नाम रिमोट ई–वोटिंग के लिए उल्लिखित किया गया है।